छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, मंत्रालय</u>

क्रमांक 1495/कम्प्यू. क्र. 1004204/2013/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 14/03/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,,
मंत्रालय, रायपुर ।

विषयः-14वें वित्त आयोग के गठन के संबंध में ।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत 14वें वित्त आयोग से प्राप्त TOR की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

14/3/13

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1496/कम्प्यू. क्र. 1004204/2013/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 14/03/2013

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, महिला थाना के पास, बैरन बाजार, रायपुर ।
2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

14/3/13

शोध अधिकारी
वित्त विभाग

41

Fourteenth Finance Commission
(State Finance Division)

19th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan
Tolstoy Marg, New Delhi – 110001

No.11013/07/2013/FFC/SF

Dated the, 4th February, 2013

आवक क्रमांक 215
सं.स./वित्त विभाग
दिनांक 12/2/13 2012

कमांक 483
ब-4/ चार / वित्त / 20
दिनांक 13/02/13

To

Shri D.S. Misra
Additional Chief Secretary (Fin)
Government of Chhattisgarh
Dau Kalyan Singh Bhavan,
Room No.383, Mantralay,
Raipur - 492001

Sub.: Public Notice issued by Finance Commission

Sir,

Please find enclosed a public notice issued by the Fourteenth Finance Commission inviting suggestions on issues related to its Terms of Reference from the members of the general public, institutions and organizations. This notice has been published in the leading newspapers and is posted on the Commission's website (http://fincomindia.nic.in). You are requested to kindly give wide publicity to this notice.

Yours faithfully,

(Sanjay Pandey)
Director

Encl. As above

Fourteenth Finance Commission

PUBLIC NOTICE

1. The Fourteenth Finance Commission invites suggestions on issues related to the terms of reference from the members of the general public, Institutions and Organizations.

2. The Fourteenth Finance Commission has been constituted in pursuance of the provisions of the Constitution of India by the President under the Chairmanship of Dr. Y. V. Reddy, vide a Notification dated 02nd January, 2013. The Commission shall make recommendations covering a period of five years commencing on the 01st April 2015 as to the following matters:-

(i) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I, Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(ii) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenue of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in –aid of their revenues under Article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article; and

(iii) the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State.

3. The Commission shall review the state of the finances, deficit and debt levels of the Union and the States, keeping in view, in particular, the fiscal consolidation roadmap recommended by the Thirteenth Finance Commission, and suggest measures for maintaining a stable and sustainable fiscal environment consistent with equitable growth including suggestions to amend the Fiscal Responsibility Budget Management Acts currently in force and while doing so, the Commission may consider the effect of the receipts and expenditure in the form of grants for creation of capital assets on the deficits; and the Commission shall also consider and recommend incentives and disincentives for States for observing the obligations laid down in the Fiscal Responsibility Budget Management Acts.

4. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to-

(i) the resources of the Central Government, for five years commencing on 1st April 2015, on the basis of levels of taxation and non-tax revenues likely to be reached during 2014-2015;

(ii) the demands on the resources of the Central Government, in particular, on account of the expenditure on civil administration, defence, internal and border security, debt-servicing and other committed expenditure and liabilities;

(ii) the resources of the State Governments and the demands on such resources under different heads, including the impact of debt levels on resource availability in debt stressed states, for the five years commencing on 1st April 2015, on the basis of levels of taxation and non-tax revenues likely to be reached during 2014-15;

(iv) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of all the States and the Union, but also generating surpluses for capital investment;

(v) the taxation efforts of the Central Government and each State Government and the potential for additional resource mobilisation to improve the tax-Gross Domestic Product ratio in the case of Union and tax-Gross State Domestic Product ratio in the case of the States;

(vi) the level of subsidies that are required, having regard to the need for sustainable and inclusive growth, and equitable sharing of subsidies between the Central Government and State Governments;

(vii) the expenditure on the non-salary component of maintenance and upkeep of capital assets and the non-wage related maintenance expenditure on plan schemes to be completed by 31st March, 2015 and the norms on the basis of which specific amounts are recommended for the maintenance of the capital assets and the manner of monitoring such expenditure;

(viii) the need for insulating the pricing of public utility services like drinking water, irrigation, power and public transport from policy fluctuations through statutory provisions;

(ix) the need for making the public sector enterprises competitive and market oriented; listing and disinvestment; and relinquishing of non-priority enterprises;

(x) the need to balance management of ecology, environment and climate change consistent with sustainable economic development; and

(xi) the impact of the proposed Goods and Services Tax on the finances of Centre and States and the mechanism for compensation in case of any revenue loss.

5. In making its recommendations on various matters, the Commission shall generally take the base of population figures as of 1971 in all cases where population is a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid; however, the Commission may also take into account the demographic changes that have taken place subsequent to 1971.

6. The Commission may review the present Public Expenditure Management systems in place including the budgeting and accounting standards and practices; the existing system of classification of receipts and expenditure; linking outlays to outputs and outcomes; best practices within the country and internationally, and make appropriate recommendations thereon.

43

7. The Commission may review the present arrangements as regards financing of Disaster Management with reference to the funds constituted under the Disaster Management Act, 2005(53 of 2005), and make appropriate recommendations thereon.

8. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State-wise estimates of receipts and expenditure.

9. The Notice as well as relevant material on the previous Finance Commission is available on the website of the Finance Commission http://fincomindia.nic.in

10 The Finance Commission would encourage suggestions/views from all interested organisations and individuals which may be sent by 30th April, 2013 in any of the following manner:

(i) By post, addressed to the Secretary, Fourteenth Finance Commission, 19th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.

(ii) Through e-mail to: secy-ffc@nic.in

(iii) Through website http://fincomindia.nic.in by clicking on hyperlink 'call for suggestions'.

चौदहवां वित्त आयोग
सार्वजानिक सूचना

1. चौदहवें वित्त आयोग ने अपने विषयों से संबंधित मुदों पर आम जनता, संस्थाओं और संगठनो से सुझाव मांगे है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा चौदहवें वित्त आयोग का गठन दिनांक 2 जनवरी, 2013 की अधिसूचना के अधीन डा0 वाई0 वी0 रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया है। यह आयोग 1 अप्रैल, 2015 से शुरू पांच वर्षो की अवधि के लिए निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करेगा।

(i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1, अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;

(ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और

(iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।

3. आयोग, विशेष रूप से, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राजवित्तीय समेकन रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे और ऋण स्तरों का पनुर्विलोकन और वर्तमान में प्रवृत्त राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधन के सुझावों सहित समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा और ऐसा करते समय, आयोग, घाटे के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में प्राप्तियों और व्यय के प्रभाव पर विचार कर सकेगा; और आयोग, राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रंबध अधिनियमों में अधिकथित बाध्यताओं का पालन करने हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों पर भी विचार करेगा और उनकी सिफारिश भी करेगा।

4. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः—

(i) वर्ष 2014—15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर—कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षो के लिए केंद्रीय सरकार के संसाधन;

(ii) केंद्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से सिविल प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग;

(iii) वर्ष 2014–15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर–कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षो के लिए, राज्य सरकारों के संसाधन और विभिन्न शीर्षों के अधीन ऐसे संसाधनों पर मांग, जिसके अंतर्गत ऋण प्रतिबलित राज्यों में उपलब्ध संसाधन पर ऋण स्तरों का समाघात भी है;

(iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, अपितु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उदभूत करने का भी उद्धेश्य;

(v) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता;

(vi) पोषणीय और समावेशित विकास, और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच साहयिकियों के समान विभाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित साहयिकियों का स्तर;

(vii) पूंजीगत आस्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण के गैर–वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2015 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर–मजूदरी संबंधी रख–रखाव व्यय तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख–रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है, तथा ऐसे व्यय को मानीटर करने की रीति;

(viii) पेयजल, सिंचाई, विद्युत और सार्वजनिक परिवहन जैसी जनोपयोगी सेवाओं के मूल्यनिर्धारण को कानूनी उपबंधों के मार्फत नीतिगत उतार–चढावों से अलग रखने की आवश्यकता;

(ix) पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुखी बनाने, सूचीबद्ध और विनिवेश और गैर–प्राथमिकता वाले उद्यमों को छोड़ने की आवश्यकता;

(x) सतत आर्थिक विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संतुलित प्रबंध की आवश्यकता; और

(xi) केंद्र और राज्यों के वित्तीय–साधनों पर प्रस्तावित माल और सेवा कर का प्रभाव और किसी राजस्व हानि की दशा में क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र।

5. आयोग, विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को, सामान्यतया, आधार के रूप में लेगा; तथापि, आयोग, उन जनसांख्यिकीय बदलवों को भी ध्यान में रख सकेगा जो 1971 के बाद में हुए है।

6. आयोग, बजटीय और लेखाकरण मानकों तथा परंपराओं सहित, विद्यमान में लागू लोक व्यय प्रबंध प्रणालियॉ; प्राप्तियों और व्यय के वर्गीकरण की विद्यमान प्रणाली; परिव्ययों

46

को उत्पादन और परिणाम से जोड़ने; देश में और विदेशों में प्रचलित सर्वोत्तम परंपराओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

7. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 {2005 का 53} के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वितपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।

8. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्य–वार अनुमान उपलब्ध कराएगा।

9. नोटिस तथा पिछले वित्त आयोगों से संबंधित सामग्री वित्त आयोग की वेबसाइट http://fincomindia.nic.in पर उपलब्ध है।

10. वित्त आयोग सभी रूचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित करता है जो निम्नलिखित किसी भी रूप में 30 अप्रैल, 2013 तक भेजे जा सकते है :

(i) सचिव, चौदहवां वित्त आयोग, 19 वां तल, जवाहार व्यापार भवन, टालॅस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001 को डाक द्वारा।

(ii) secy-ffc@nic.in को ई–मेल के जरिए।

(iii) हाइपरलिंक "कॉल फॉर सजेशंस" पर क्लिक करते हुए वैबसाइट http://fincomindia.nic.in के जरिए।